कर्मचारी चयन आयोग

विज्ञप्ति

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी)स्टाफ के पदों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान- 2015

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश

सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

फा.सं. 3/8/2015 नी. व यो.। राष्ट्रीय नेत्रहीन परिसंघ के मामले में सिविल अपील सं. 9096/2013 की अवमानना याचिका संख्या 499/2014 में, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28.4.2015 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में, कर्मचारी चयन आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय, विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों में एक सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय पद पर वेतन बैंड-। (5200-20200/- रुपए) + ग्रेड वेतन 1800/- रुपए, में विकलांग व्यक्तियों के लिए मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर विशेष भर्ती कर रहा है । इन पदों हेतु सभी आवेदकों के लिए विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में दिनांक 10.01.2016 को और यदि आवश्यक हुआ तो, उत्तरवर्ती तारीखों को एक समान परीक्षा(प्रश्नपत्र-। और प्रश्नपत्र-।।) आयोजित की जाएगी ।

2. रिक्तियां/आरक्षण : मल्टी टॉस्किंग स्टाफ(गैर-तकनीकी)के पद के लिए शा वि श्रेणी (अवि,दृवि और श्रवि) के अंतर्गत रिक्तियों की अनंतिम रूप से संख्या क्रमश: 61,18 और 43 है । रिक्तियों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ.वि.	श्र.वि.	दृ.वि.	योग
कचआ(म.क्षे.)	उत्तर प्रदेश	3	2	1	6
	बिहार	2	0	0	2
कचआ(पूर्वो.क्षे.)	असम	0	2	0	2
	मणिपुर	0	0	0	0
	मेघालय	3	0	0	3
	मिजोरम	1	0	0	1
	नागालैंड	0	0	0	0
	त्रिपुरा	0	0	0	0
कचआ(क.के.क्षे.)	कर्नाटक	4	4	2	10
	केरल	0	1	0	1
कचआ(द.क्षे.)	तमिलनाडु	1	2	0	3
	आंध्रप्रदेश	1	1	1	3
कचआ(म.प.क्षे.)	मध्य प्रदेश	6	4	0	10
	छत्तीसगढ़	0	0	0	0
कचआ(प.क्षे.)	महाराष्ट्र	4	3	1	8
	गुजरात	19	1	0	20
	गोवा	0	0	0	0
कचआ(पू.क्षे.)	पश्चिम बंगाल	0	1	1	2
	ओडिसा	2	1	0	3
	झारखंड	0	0	0	0

	सिक्किम	0	0	0	0
	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0
कचआ(पश्चिमो.क्षे.)	चण्डीगढ़	1	0	0	1
	जम्मू एवं कश्मीर	1	0	0	1
	हरियाणा	0	0	0	0
	हिमाचल प्रदेश	2	2	0	4
	पंजाब	0	0	0	0
कचआ(उ.क्षे.)	दिल्ली	8	18	11	37
	राजस्थान	1	0	0	1
	उत्तराखण्ड	2	1	1	4
	योग	61	43	18	122

3. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

अभ्यर्थी या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो , या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी,1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या,यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया(भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया , मालावी,जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो।

बशर्ते कि उपरोक्त (ख),(ग),(घ) तथा (ड.) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो ।

ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा ।

4(क). आयु सीमा: 01.01.2016 को 18 से 25 वर्ष

नेत्रहीन, मूक-बधिर तथा अस्थि विकलांग व्यक्ति के मामले में ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी :-

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
03	शा वि	10 वर्ष
04	शा वि + अपिव	13 वर्ष
05	शा वि + अजा / अजजा	15 वर्ष
15	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य/अनारक्षित)जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
17	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अपिव) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	43 वर्ष की आयु तक
19	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा/अजजा) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45 वर्ष की आयु तक

यदि कोई विकलांग व्यक्ति केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी की हैसियत से आयु में छूट का हकदार है तो शा.वि. श्रेणी अथवा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी की हैसियत से अनुज्ञेय छूट में से, जो भी अभ्यर्थी को लाभप्रद होगी, उसे वह छूट दी जाएगी ।

न्यूनतम 40% अथवा उससे अधिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों को ही आयु सीमा में छूट दी जाएगी ।

अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए आवेदन पत्र जमा करने की तिथि को मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी ।

4(ख) प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाणपत्रों का प्रारुप:

जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित तिथि को अथवा उससे पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी अपेक्षित अजा/अजजा/अपिव/अशक्तता प्रमाण पत्र तब प्रस्तुत करना होगा, जब इन प्रमाणपत्रों की क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मांग की जाए । अन्यथा उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा । प्रमाणपत्रों का प्रारूप संलग्न है । किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाणपत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा । सम्पन्न वर्ग(क्रीमी लेयर) के दर्जे के लिए केवल 24.11.2012 से 20.05.2016 के बीच जारी अपिव प्रमाणपत्र को ही स्वीकार किया जाएग ।

अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/ अजजा/अपिव/ शावि दर्जे का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें स्थायी तौर पर वारित कर दिया जाएगा ।

उपरोक्त 4(ख) के अध्यधीन, अंतिम तिथि(अर्थात् 23.11.2015) को अपिव दर्जे के लिए गणना की तारीख के रूप में माना जाएगा ।

4(ग) **चालीस प्रतिशत और उससे अधिक** की दृष्टि विकलांगता वाले **दृष्टि विकलांग (दृ.वि.)** अभ्यर्थी, तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में **प्रलिपिक** की सहायता लें सकते हैं, बशर्ते कि यह अनुरोध आवेदन पत्र में किया जाए । प्रश्न-पत्र एवं उत्तर पत्रिका **ब्रेल** में उपलब्ध नहीं करायी जाएंगी ।

परीक्षा परिसर के अन्दर दृ.वि./प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

चालीस प्रतिशत से कम की दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्तियों को दृष्टि विकलांग नहीं माना जाएगा । **एक आँख वाले अभ्यर्थी** और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो सभी अभ्यर्थियों के लिए तैयार किए गए सामान्य प्रश्नपत्र को आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) के पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना/दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा **वे प्रलिपिक के लिए हकदार नहीं होंगे ।** ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा ।

5. शैक्षिक योग्यता: (01.01.2016 को)

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा **अवश्य उत्तीर्ण की हो।**

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि** को शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं की है/प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

6 **परीक्षा केन्द्र**

पेपर आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा विकल्पित परीक्षा केन्द्र दर्शाना होगा । अभ्यर्थी को अपना आवेदन केवल आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय में ही जमा करना होगा , जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन वह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आता है, जिसमें पद के लिए आवेदन किया गया है । अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि वे उसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अन्दर परीक्षा केन्द्र का चुनाव करें, जिसके लिए वे आवेदन कर रहें हैं । आयोग के किसी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय में उस क्षेत्र/उप क्षेत्र के क्षेत्राधिकार से बाहर किसी राज्य/परीक्षा केन्द्र के लिए प्राप्त आवेदन को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा ।

आवेदन पत्र **आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों** को भेजे जाने चाहिए, जैसा नीचे सारणी में दर्शाया गया है :

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	**कोड संख्या**	**परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड**	**वह पता जहां आवेदन भेजने हैं**
1.	**2.**	**3.**	**4.**
बिहार	01.	पटना(3206), ,मुजफ्फरपुर (3205), गया(3203)	क्षेत्रीय निदेशक(म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 21-23 लाउदर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002
उत्तर प्रदेश	02.	आगरा(3001),इलाहाबाद (3003), लखनऊ(3010)	
झारखंड	03.	रांची(4205),	क्षेत्रीय निदेशक(पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ भवन,(आठवां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020
उड़ीसा	04.	भुवनेश्वर(4604)	
पश्चिम बंगाल	05.	कोलकाता(4410),मिदनापुर(4413), जलपाईगुड़ी (4408),	
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	06.	पोर्ट ब्लेयर (4802),	
सिक्किम	07.	गंगटोक(4001),	
कर्नाटक	08.	बंगलोर(9001), मंगलोर(9008),	क्षेत्रीय निदेशक(के.क.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, पहली मंजिल,"ई" विंग, केंद्रीय सदन,कोरमंगला, बंगलोर, कर्नाटक-560034
केरल	09.	तिरूवनन्तपुरम(9211),कोची(9204),	
लक्षद्वीप द्वीपसमूह	10.	कावारत्ती(9401)	
दिल्ली	11.	दिल्ली(2201),	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.12,सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110504
राजस्थान	12.	जयपुर(2405),जोधपुर(2406), भरतपुर(2403), उदयपुर(2409)	
उत्तराखंड	13.	देहरादून(2002),हरिद्वार(2005),	
अरुणाचल प्रदेश	14.	ईटानगर(5001),	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लैक्स वेस्ट एंड ब्लॉक, लास्ट गेट, बेलतोला बशिष्ठ रोड दिसपुर, गुवाहाटी असम-781006
असम	15.	गुवाहाटी(दिसपुर)(5105), तेजपुर(5112), सिलचर(5111),	
मणिपुर	16	इम्फाल(5501),	
मेघालय	17.	शिलांग(5401)	
मिजोरम	18.	आइजोल(5701)	
नागालैंड	19.	कोहिमा(5302)	
त्रिपुरा	20.	अगरतला (5601)	
आन्ध्र *प्रदेश*	21.	गुंटूर(8001), विशाखापट्नम(8007)	क्षेत्रीय निदेशक(द.क्षे.),

तेलंगाना	22	हैदराबाद(8002),	कर्मचारी चयन आयोग, ईवीके सपंत बिल्डिंग, दूसरा तल, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु-600 006
पुडुचेरी तथा तमिलनाडु	23.	चेन्नई(8201), मदुरै(8204), तिरूचिरापल्ली(8206)	
दमन एवं दीव तथा गोवा	24.	पणजी(7801)	क्षेत्रीय निदेशक(प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल,दक्षिण विंग,प्रतिष्ठा भवन, 101,एम.के.रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400020
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली	25.	अहमदाबाद(7001), वदोदरा (7002), राजकोट (7006),	
महाराष्ट्र	26	औरंगाबाद (7202), मुम्बई(7204), नागपुर(7205), नासिक (7207),	
छत्तीसगढ़	27.	रायपुर(6204),बिलासपुर(6202), दुर्ग(6205)	उप-निदेशक(म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, जे-5 अनुपम नगर, रायपुर छत्तीसगढ़-492001
मध्यप्रदेश	28.	इंदौर(6006) सागर(6015) भोपाल(6001)	
चण्डीगढ़	29.	चण्डीगढ़(1601)	उप-निदेशक(पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.-3,भूतल, केंद्रीय सदन, सैक्टर-9, चण्डीगढ़-160017
जम्मू व कश्मीर	30.	जम्मू(1004),श्रीनगर(1007)	
हरियाणा	31.	हिसार(1803)	
हिमाचल प्रदेश	32.	शिमला(1203), हमीरपुर(1202)	
पंजाब	33.	भटिण्डा(1401),	

किन्हीं भी परिस्थितियों में परीक्षा केन्द्र में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसलिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों का चुनाव सावधानीपूर्वक करना चाहिए तथा अपने आवेदन पत्र में उसे ठीक ठीक दर्शाना चाहिए ।

एक ही क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न राज्यों के लिए आवेदनों के मामले में, अभ्यर्थियों को केवल एक बार ही परीक्षा में बैठना होगा ।

7. परीक्षा की योजना:
(क) लिखित परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम

लिखित परीक्षा में(प्रश्नपत्र-I) **वस्तुनिष्ठ प्रकार** का और (प्रश्नपत्र-II) वर्णनात्मक प्रकार का होगा ।

प्रश्नपत्र-I

दिनांक	विषय	अधिकतम अंक	दृष्टि विकलांग/ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए कुल अवधि / समय	दृष्टि विकलांग/ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए कुल अवधि / समय
10.1.2016 (रविवार)	**सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति (25 प्रश्न)**	**25**	**2 घंटे 10.00 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे दोपहर तक**	**2 घंटे 40 मिनट 10.00 बजे पूर्वाह्न से 12.40 बजे अपराह्न तक**
	संख्यात्मक अभिरुचि (25प्रश्न)	**25**		
	सामान्य अंग्रेजी (50 प्रश्न)	**50**		
	सामान्य जानकारी (50प्रश्न)	**50**		
10.1.2016	**प्रश्नपत्र II**		**30 मिनट**	**45 मिनट**

(रविवार	**अंग्रेजी अथवा हिन्दी में लघु निबन्ध/पत्र**	**50**	**2.00 बजे अपराह्न से 2.30 बजे अपराह्न तक**	**2.00 बजे अपराह्न से 2.45 बजे अपराह्न तक**

आयोग के पास 10.1.2016 के स्थान पर अन्य तारीख(तारीखों) को प्रश्नपत्र-।। के आयोजन का अधिकार सुरक्षित है । पूर्वाह्न सत्र में 9.30 बजे(पूर्वाह्न) के बाद तथा अपराह्न सत्र में 1.30 बजे(अपराह्न) के बाद परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

प्रश्नपत्र-। में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार- बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे । प्रश्न अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में तैयार किए जाएंगे ।

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे । अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखें ।

प्रश्नपत्र-।। वर्णनात्मक होगा तथा यह केवल अर्हक प्रकृति का होगा । तथापि, यदि यह किसी उत्तरवर्ती तारीख को आयोजित किया जाता है तो इसका आयोजन उन अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा, जिनकी प्रश्नपत्र-। में निष्पादन के आधार पर छंटाई की गई है ।

लिखित परीक्षा के लिए निर्देशात्मक पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र-। इस पद के कार्य को देखते हुए 'सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति' पर प्रश्न गैर-शाब्दिक होंगे । संख्यात्मक अभिरुचि और सामान्य अंग्रेजी पर प्रश्न साधारण और उस स्तर के होंगे कि एक औसतन मैट्रिकुलेट उनका आसानी से उत्तर दे सके । सामान्य जानकारी पर प्रश्न भी उसी स्तर के होंगे ।

सामान्य बुद्धिमता : इसमें गैर शाब्दिक प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे । इस घटक में समानताओं तथा अंतरों, समस्या समाधान, विश्लेषण,निर्णय, निर्णय लेना, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे । इस परीक्षण में अभ्यर्थी की अमूर्त विचारों और चिह्नों और उनके संबंध अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों से निपटने में अभ्यर्थी की योग्यताओं की जांच के लिए प्रश्न भी सम्मिलित होंगे ।

अंग्रेजी भाषा : अभ्यर्थी की अंग्रेजी भाषा की समझ की जांच करने के अतिरिक्त, इसकी शब्दावली, व्याकरण, वाक्य गठन,समानार्थक,विलोमार्थक और उसका सही प्रयोग इत्यादि, उसकी लेखन योग्यता की जांच भी की जाएगी ।

संख्यात्मक अभिरूचि :

इस प्रश्न पत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांक का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता , अनुपात तथा समानुपात,औसत,ब्याज, लाभ और हानि, बट्टा, सारणी तथा ग्राफ का प्रयोग, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य इत्यादि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे ।

सामान्य जानकारी : अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे । सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है । इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, भारतीय संविधान सहित सामान्य राज्य-व्यवस्था, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे । ये प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की जरुरत नहीं होती ।

40% और उससे अधिक की दृष्टि विकलांगता और प्रलिपिक का विकल्प देने वाले दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति/सामान्य जानकारी प्रश्न पत्र में मानचित्र/ग्राफ/आरेख/सांख्यिकीय आंकड़े इत्यादि के कोई घटक नहीं होंगे ।

8. चयन का तरीका:

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रिक्तियों केलिए प्रश्नपत्र-I में कट-ऑफ आयोग के विवेकानुसार निर्धारित की जाएगी । प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अभ्यर्थियों का अंतिम चयन प्रश्नपत्र-I में उनके निष्पादन के आधार पर किया जाएगा ।

जब तक कि सरकार यथा आवश्यक जांच के उपरांत संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी हर प्रकार से सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त है। तब तक परीक्षा में सफलता से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता ।

9. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा

उन मामलों में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी एक समान कुल प्राप्तांक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी(टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-

(1) लिखित परीक्षा के भाग-III में अंकों को देखकर
(2) लिखित परीक्षा के भाग-II में अंकों को देखकर
(3) जन्मतिथि देखकर अर्थात् अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी ।
(4) नामों के वर्णानुक्रम पर विचार करते हुए, जिसमें पहले आने वाले नाम पर विचार किया जाएगा ।

10. आवेदन कैसे करें : आवेदन केवल(अनुबंध-I) निर्धारित प्रपत्र में ही जमा किए जाएं । आवेदन पत्र से संबंधित विस्तृत अनुदेशों और आवेदन पत्र कैसे जमा करें, इसके लिए क्रमश: डाक संबंधी आवेदनों और ऑनलाइन आवेदन पत्रों के लिए अनुबंध-IIक अथवा अनुबंध-IIख देखे जा सकते हैं ।

11. परीक्षा में प्रवेश:

सभी अभ्यर्थी जो अंतिम तिथि तक इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करते हैं, उन्हें अनुक्रमांक दिया जाएगा । यह उन्हें परीक्षा की तिथि से कम से कम दो सप्ताह के भीतर सूचित कर दिया जाएगा अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा । आयोग से किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि तथा परीक्षा के नाम सहित अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें । ये विवरण न देने वाले अभ्यर्थी के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

परीक्षा के प्रवेश पत्र(प्र.प.) जिनमें प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा की समय सूची तथा परीक्षा स्थल की जानकारी दी जाएगी, परीक्षा तिथि से लगभग तीन सप्ताह पहले अभ्यर्थियों को भेज दिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने ऑन लाइन से आवेदन किया है किन्तु अपने प्रवेश-पत्र डाऊन लोड नही कर पा रहे हों अथवा उन्हें परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश पत्र प्राप्त न हुए हो तो उन्हें अपने प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए तत्काल पंजीकरण पहचान के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदनों में यदि कोई त्रुटियां हों तो उन्हें परीक्षा से दो सप्ताह पूर्व आयोग की वेबसाइट (http://ssc.nic.in) पर भी डाल दिया जाएगा ।

अभ्यर्थी जब वह परीक्षा में बैठाना चाहते हैं अपने साथ कम से कम फोटो लगा एक पहचान प्रमाण अर्थात ड्राइविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कॉलेज का पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड अपने साथ अवश्य लाएं, ऐसा ना होने पर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जाएगी ।

अभ्यर्थियों को निरीक्षक की उपस्थिति में आयोग की प्रवेश पत्र वाली कापी पर चिपकाए जाने के लिए, यदि आवश्यक हो तो , अपने साथ पास पोर्ट आकार की 3 फोटो लानी चाहिएं । जिन अभ्यर्थियों के पास फोटोग्राफ नहीं होगी उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जाएगी । अभ्यर्थियों को उस फोटोग्राफ की जो उन्होंने अपने आवेदन प्रपत्र पर अपलोड की है/चिपकाई है कि 10 प्रतियां परीक्षा समाप्ति तक पहचान को आसान बनाने के लिए अपने पास रखने की सलाह दी जाती है ।

12. <u>दुर्व्यवहार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई :</u>

अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन फार्म भरते समय कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपानी नहीं चाहिए । अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी दी जाती है कि उन्हें कोई हेर-फेर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए अथवा दस्तावेज में अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाणित प्रति में कोई गलत प्रविष्टि नहीं करनी चाहिए न ही उन्हें नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए । यदि ओ एम आर पत्रक भरने में कोई अशुद्धि अथवा कोई विसंगति पाई जाती है, तो उनकी ओ.एम.आर. सीटों का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ।

निम्नलिखित में से किसी भी के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई/वारित किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना आयोग की परीक्षा से जहाँ भी आवश्यक हो उनकी अभ्यर्थिता भर्ती के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी :

(i) परीक्षा केन्द्र के परिसरों में मोबाइल फोन एवं अन्य सहायक उपकरण तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजिट अपने पास रखने पर, चाहें इनका प्रयोग हो रहा है या वह बन्द स्थिति में हों ।
(ii) कदाचार में लिप्त पाए जाने पर ।
(iii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर ।
(iv) किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो ।
(v) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराया हो ।
(vi) जाली दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हेर-फेर किया गया हो ।
(vii) गलत अथवा झूठे वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है ।
(viii) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो ।
(ix) परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, निरीक्षक अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया हो।
(x) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से उत्तर-पुस्तिका अपने साथ उठाकर ले गया हो/ले गई हो या इसे परीक्षा के दौरान अप्राधिकृत व्यक्ति को दिया हो ।
(xi) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को शारीरिक तौर से हानि पहुँचाई हो या डराया, धमकाया हो ।
(xii) विज्ञप्ति में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा न करते हुए परीक्षा के लिए अपात्र होना ।
(xiii) भर्ती के किसी भी चरण में किसी भी आधार पर जिसे अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आयोग पर्याप्त कारण समझे अभ्यर्थिता रद्द भी की जा सकती है।

13. आयोग का निर्णय अंतिम :

पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की प्रक्रिया, परीक्षा(ओं) तथा साक्षात्कार का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों का आबंटन, चयनित अभ्यर्थियों को

पदों/संगठनों के चयन तथा आबंटन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

14. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है ।

15. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

1.	**अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे इस विज्ञप्ति में उल्लिखित विस्तृत अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें जो आयोग की वेबसाइट : http://ssc.nic.in, ssc-cr.org, sscer.org, sscner.org.in, sscwr.org, sscsr.gov.in, ssckkr.kar.nic.in, sscmpr.org, sscnwr.gov.in; पर भी उपलब्ध हैं ।**
2.	**आवेदन के लिए कोई शुल्क नही है ।**
3.	**आरक्षण प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी के पास सत्यापन के समय अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में (अजा/अजजा/अपिव तथा निशक्तता) संबंधी अपेक्षित प्रमाणपत्र होने चाहिए ।**
4.	**अंतिम तिथि : 23.11.2015(सांय 5.00 बजे तक) ।** असम,मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-मण्डल, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और विदेशों में रहने वाले अभ्यर्थियों के मामले में अन्तिम तिथि 3**0.11.2015(सांय 5.00 बजे) है । विलंब से प्राप्त हुए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।** ऑनलाइन से आवेदन भेजने वाले इन क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए अंतिम तिथि 23.11.2015(सांय 5.00 बजे) ही होगी ।
5.	प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के केवल एक आवेदन पर विचार किया जाएगा । ऑनलाइन किए गए एक से अधिक आवेदन के मामले में अंतिम आवेदन जिसके भाग-। तथा भाग-।। का पंजीकरण पूरा हो चुका हो, को ही स्वीकार किया जाएगा । ऑफलाइन आवेदनों के मामले में क्षेत्रीय निदेशक/उप क्षेत्रीय निदेशक अपने विवेक पर केवल एक ही आवेदन स्वीकार करेगें । एक से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करने चाहिए ।
6.	*अभ्यर्थी, विज्ञप्ति के पैरा - 6 मे यथा उल्लिखित कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में भेजना चाहिए/प्रस्तुत करना चाहिए अथवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग के साथ पत्राचार करने के लिए उन्हें दिया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास रखना चाहिए । उन्हें अपने आवेदन का प्रिंट आयोग में ऑऊट जमा करने की आवश्यकता नहीं है ।*
7.	परीक्षा केन्द्रों के परिसरों के अन्दर मोबाइल तथा इलैक्ट्रानिक उपकरणों पर पाबन्दी है । इनका बन्द अथवा चालू अवस्था में पाया जाना आयोग द्वारा अनुचित किया माना गया है तथा आपराधिक अभियोजन के पूर्वाग्रह के बिना अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर निरस्त की दी जाएगी और उन्हें आयोग की परीक्षाओं से वारित किया जाएगा ।

8.	अभ्यर्थी अपना आवेदन भरने/प्रस्तुत करने के संबंध में, यदि कोई आवश्यकता हो, स्पष्टीकरण इत्यादि के लिए निम्नलिखित "हैल्पलाइन" से संपर्क कर सकते है :- (i) कर्मचारी चयन आयोग (उ क्षे), नई दिल्ली 01164715222, 01165021888, 01124363343, 01124360840 (ii) कर्मचारी चयन आयोग (म क्षे) इलाहाबाद 05322460511, 09452424060 (iii) कर्मचारी चयन आयोग (द क्षे) चेन्नै 09445195946, 04428251139 (iv) कर्मचारी चयन आयोग (प क्षे) मुम्बई 09869730700, 07738422705 (V) कर्मचारी चयन आयोग (पू क्षे) कोलकाता 09477461228, 09477461229 (vi) कर्मचारी चयन आयोग (म प्र क्षे) रायपुर 09407921504, 09407921505 (vii) कर्मचारी चयन आयोग (के क क्षे) बेंगलोर 08025502520, 09483862020 (viii) कर्मचारी चयन आयोग (पश्चिमो क्षे) चंडीगढ़ 09915509204, 09915509331 (ix) कर्मचारी चयन आयोग (पूर्वोत्तर क्षे) गुवाहाटी 09085073593, 09085015252
9.	विभिन्न परीक्षाओं की उत्तर कुंजियां वेबसाइट पर हैं । यदि कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है तो जहां कहीं आवश्यक हो विशेषज्ञों की सहायता से उनकी संवीक्षा की जाएगी और संशोधित उत्तर कुंजियों का मूल्यांकन किया जाएगा । उत्तर कुंजियों के संशोधन के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा और इसके पश्चात इसके बारे में अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

अवर सचिव(नी. एवं.यो.।)

अनुबंध-II-क

विवरणिका

आवेदन पत्र भरने संबंधी अनुदेश

I आवेदन पत्र भरने से पहले अपने स्वयं के हित में परीक्षा की विज्ञप्ति में और नीचे भी दिए गए अनुदेशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ ले ।

II खाने अर्थात् [ ] में लिखने के लिए सिर्फ नीले/काले बॉल पेन का प्रयोग करें ।

III आवेदन पत्र में अधिकतर मदों के लिए अनुदेश दिए गए हैं जिसे खाने भरने से पहले सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए । जिन मदों के लिए अनुदेश उपलब्ध नहीं है, आवेदन पत्र में प्रत्येक मदों को भरने के लिए नीचे दिए गए अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें ।

1. **उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसके लिए आवेदन किए गए हैं और केन्द्र कोड**

परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा-6 देखें । अभ्यर्थियों को केवल उन्हीं केन्द्र के लिए विकल्प भरने चाहिए जो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है ।

12.1 **आयु में छूट प्राप्त करने के लिए कोड**

परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा 4 ख देखें

14.1 दृ.वि./प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात अभ्यर्थियों को उस माध्यम को दर्शाना होगा जिसमें वे लिखित परीक्षा देना चाहते हैं । प्रलिपिक की व्यवस्था आयोग द्वारा तद्‌नुसार की जाएगी ।

15. अभ्यर्थी सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुसलमान(मुस्लिम), ईसाई, सिख, बौद्ध या जोरास्ट्रियन(पारसी) अथवा जैन से है तो यथा इंगित करें

16. शैक्षिक योग्यता और विषय कोड : अनुबंध -VII देखें

यदि किसी भी विशिष्ट शैक्षिक योग्यता अथवा विषय का कोड नहीं दिया गया है तो 'अन्य' का प्रयोग करें ।

18. पत्रव्यवहार के लिए पता

अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में अथवा हिन्दी में अपने नाम सहित पत्रव्यवहार का पूरा पता नीले/काले बॉल पेन से लिखें । खाने में 6 अंकों का पिन लिखना न भूलें ।

20. फोटोग्राफ

अपने 4 सें.मी. X 5 सें.मी. आकार का हाल ही का फोटोग्राफ चिपकाएं । फोटो को स्टैपल न करें और न ही अनुप्रमाणित करें । कृपया नोट करें कि फोटोग्राफ के बिना आपका आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा ।

अभ्यर्थी द्वारा प्रयोग किया गया फोटोग्राफ हाल ही का, साफ चेहरे वाला तथा रंगीन फोटो, हल्के रंग के विरूद्ध अधिमानत: सफेद बैकग्राउंड का जरूर होना चाहिए । यदि फ्लैश का प्रयोग किया गया हो तो सुनिश्चित करें कि कोई आँख लाल नहीं हो, चश्में के मामले में आपकी आँखें साफ दिखाई देनी चाहिए । फोटो में चेहरे का आकार 80% से कम नहीं होना चाहिए । फोटो 8 बिट जेपीजी फॉर्मेट तथा आकार 100X120(पिक्शल) रेज्यूलेशन सहित 4 के बी से 12 के बी के बीच होना चाहिए ।

अभ्यर्थी अनुक्रमांक के लिए खाने को खाली छोड़ दें ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर(जहां कहीं आवश्यक हो)

अनुबंध-।।ख

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया

टिप्पणी:ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 24.10.2015 से 23.11.2015(सायं 5.00बजे तक) उपलब्ध होगी ।

वेबसाइट www.ssconline.nic.in तथा ssconline2.gov.in पर आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं । इसके अनुदेश साइट पर उपलब्ध हैं । अभ्यर्थी को कुछ भी भरने अथवा विकल्प चुनने से पहले अनुदेश सावधानीपूर्वक पढ़ने चाहिएं । ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को सभी अपेक्षित विवरण देने चाहिए । अनिवार्य क्षेत्रों को *(तारक) चिन्ह से अंकित किया गया है ।

1. अभ्यर्थी को मूलभूत सूचना भरनी होगी । विवरण जमा करने पर, अभ्यर्थी को विवरण की जाँच करने और आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार करने का सुझाव दिया जाएगा ।

2. घोषणा करने के बाद जब अभ्यर्थी यह देखें कि उसके द्वारा दी गई सूचना क्रम में है और किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है तो वह "मै सहमत हूँ" का बटन दबा सकता है । उसके बाद किसी सुधार/संशोधन आदि की अनुमति नहीं होगी ।

3. उसके बाद पंजीकरण सं. वाला पेज तैयार किया जाएगा । अपना पंजीकरण संख्या नोट कर लें अथवा उस पेज का प्रिंट आऊट निकाल लें । फोटोग्राफ तथा स्कैन किया गया हस्ताक्षर अपलोड के बिना आवेदन प्रक्रिया अधूरी है । अभ्यर्थी नोट कर लें कि आयोग द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या संगत स्थानों में समुचित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए, ऑनलाइन आवेदन केवल तभी पूरे होंगे यदि अनुदेशों के अनुसार स्कैन किए हुए हस्ताक्षर और फोटो अपलोड किए गए होंगे ।

4. उसके बाद 8-बिट जे पी जी फोर्मेट में हाल में खींचा व स्कैन किया गया फोटो अपलोड करें । फाइल का डिजीटल आकार 100 पिक्सल चौड़ाई और 120 पिक्सल ऊचांई रेजॉल्यूशन का होना चाहिए ।

5. उसके बाद 8-बिट जे पी जी फोर्मेट में अपना स्कैन किया गया हस्ताक्षर अपलोड करें । फाइल का डिजीटल आकार 140 पिक्सल चौड़ाई और 60 पिक्सल ऊचांई रेजॉल्यूशन का होना चाहिए।

6. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक अनुदेशों को पढ़ लें ।

7. आवेदन पत्र में किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा । कर्मचारी चयन आयोग आवेदन पत्र में भरे गए किसी विवरण में किसी प्रकार के सुधार/जोड़/विलोपन की अस्वीकार्यता से उत्पन्न किन्हीं भी परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

अनुबंध-III

आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)
(कृपया विज्ञप्ति का पैरा 4(क) देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी ______________________ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो _________________ रू. के वेतनमान में _____________ के पद पर कार्य कर रहे/रही हैं। उन्हें **अंतिम तिथि** को इस ग्रेड में नियमित आधार पर सेवा करते हुए 3 वर्ष हो गए हैं ।

हस्ताक्षर___________________

नाम ___________________

कार्यालय की मुहर _______________

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

अनुबंध IV

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यत: रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यत: रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*…………………… …….. ….. .. . … …

पुत्र/पुत्री…………………………………………………निवासी ग्राम/कस्बा/* ……………………

जिला/संभाग*……………………………राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*……………….के ……………….

जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950…………………………………………
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950………………………………………
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*……………………………………
संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*……………………………………

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956……………………….
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम)1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान
(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989@

संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1996
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम,2002
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002
संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2007

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ....के माता/पिता श्री/श्रीमती..निवासी ग्राम/कस्बा*............................जिला/संभाग*...............................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.. को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ... .जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो... दिनांक ....द्वारा जारी..राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी............................ और/या* उनका परिवार सामान्यत: ग्राम/कस्बा*...................... जिला/संभाग*................................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र...................................में रहता है ।

हस्ताक्षर.......................

**पदनाम...................
(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान.................
दिनांक................
*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

<u>टिप्पणी:-</u> यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यत: रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यत: रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को **केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी** द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

<u>अनुबंध-V</u>

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाल प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि ....

पुत्र/पुत्री .... ग्राम ....

जिला/संभाग ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र .... समुदाय से संबंधित हैं जो संकल्प सं. ....दिनांक..........................* के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है :

श्री/श्रीमती/कुO.................................... तथा/या उनका परिवार

सामान्यत:.. राज्य के ....

जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. -(एससीटी), दिनांक 8. 9. 1993** तथा भारत सरकार, काार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश

उपायुक्त आदि।

दिनांक:

* प्रमाणपत्र जारी करने प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के ब्यौरों का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति का अन्य पिछडे वर्ग के रूप में उल्लेख है ।

** समय समय पर यथा संशोधित ।

<u>टिप्पणी :-</u> यहां प्रयुक्त सामान्यत: शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

अनुबंध -VI(प्रारूप-II)

नि:शक्तता प्रमाण पत्र
(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले में एवं अधांपन के मामले में)
(नियम 4 देखें)
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

नि:शक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

(दि./म/.व.)

प्रमाणपत्र संख्या.......................................
दिनांक..................................

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-------------------------------------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---जन्म तिथि ------------------आयु......

................पुरूष/महिला----------------- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

पंजीकरण संख्या.......................................स्थायी आवास मकान नं...............................

वार्ड/गांव/गली................................डाकघर.......................जिला.............................

राज्य................................

जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला :

- गतिविषयक विकलांगता
- नेत्रहीनता का है
  (जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में..............................निदान किया गया है ।

(क) वे दिशानिर्देशों के अनुसार अपने........................(शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में ....%(अंकों में).......................प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक क्षति/नेत्रहीनता से पीडित हैं ।

2. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए है :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के
प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध -VI(प्रारूप-।।।)

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(बहु विकलांगता के मामले में)
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)
(नियम 4 देखें)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

(दि./म/.व.)

प्रमाणपत्र संख्या.......................................
दिनांक..................................

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-------------------------------------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---जन्म तिथि ------------------आयु......

................पुरूष/महिला----------------- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

पंजीकरण संख्या.......................................स्थायी आवास मकान नं...............................

वार्ड/गांव/गली................................डाकघर.......................जिला............................

राज्य...............................जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु-विकलांगता का है । निःशक्तता के लिए दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे मार्क करके निम्नलिखित सारणी में संगत निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है :

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनो आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	$		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देशानुसार(ब्यौरा दिया जाए) उनका/उनकी समग्र शारीरिक क्षति निम्नानुसार है :-

अंकों में..........................प्रतिशत

शब्दों में ....प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) ....वर्ष ....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र .... तक मान्य रहेगा ।
तारीख माह वर्ष

@ उदाहरणत: बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे
# उदाहरणत: एक आँख/दोनों आँखें
$ उदाहरणत : बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए है :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

सदस्य का नाम एवं मुहर	सदस्य का नाम एवं मुहर	अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध -VI(प्रारूप-IV)

नि:शक्तता प्रमाण पत्र

(प्रारूप ।। एवं ।।। में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

(नियम 4 देखें)

नि:शक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या..

दिनांक...................................

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-------------------------------------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---जन्म तिथि ------------------आयु......
(दि./म/.व.)
.................पुरूष/महिला----------------- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

पंजीकरण संख्या.......................................स्थायी आवास मकान नं...............................

वार्ड/गांव/गली.................................डाकघर.......................जिला.............................

राज्य...............................जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि उनका मामला................**नि:शक्तता** है । नि:शक्तता के लिए(ब्योरा दिया जाए) दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/नि:शक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त नि:शक्तता के सामने दर्शाया गया है :-

क्रम सं.	नि:शक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनो आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	$		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

(कृपया उस नि:शक्तता को काट दे जो लागू न हो)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. नि:शक्तता का पुन:निर्धारण :
   (i) आवश्यक नहीं है
   अथवा
   (ii) ....वर्ष ....माह के पश्चात पुन:निर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र .... तक मान्य रहेगा ।
तारीख माह वर्ष

@ उदाहरणत: बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणत: एक आँख/दोनों आँखें

$ उदाहरणत : बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए है :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर

(नाम एवं मुहर)

यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी हस्पताल के प्रमुख के प्रति हस्ताक्षर एवं मुहर

टिप्पणी : यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह तभी मान्य होगा जब उस पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर हों ।

अनुबंध -VII

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
मैट्रिकुलेशन	01
इंटरमीडिएट/हायर सैकेंडरी	02
प्रमाणपत्र	03
डिप्लोमा	04
बी.ए.	05
बी.ए(आनर्स)	06
बी.कॉम	07
बी.कॉम(आनर्स)	08
बी.एस.सी	09
बी.एस.सी(आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी	12
बी.ई.	13
बी.टैक	14
ए.एम. आई.ई(भाग क व भाग ख)	15
बी.एस.सी(इंजी.)	16
बी.सी.ए	17
बी.बी.ए	18
रक्षा(भारतीय सेना,वायु सेना,नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी.फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी.जी.डिप्लोमा	24
एम.ए	25
एम.कॉम	26
एम.एस.सी.	27
एम.एड	28
एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31
एम.एस.सी(इंजी.)	32
एम.सी.ए	33
एम.बी.ए	34
अन्य	35

शैक्षिक योग्यता के विषय कोड

शैक्षिक योग्यता का विषय	कोड
इतिहास	01
राजनीति विज्ञान	02
अर्थशास्त्र	03
अंग्रेजी साहित्य	04
हिंदी साहित्य	05
भूगोल	06

वाणिज्य	07
विधि	08
भौतिक विज्ञान	09
रसायन विज्ञान	10
गणित	11
सांख्यिकी	12
वनस्पति शास्त्र	13
प्राणी विज्ञान	14
कृषि विज्ञान	15
सिविल अभियांत्रिकी	16
वैद्युत अभियांत्रिकी	17
यांत्रिक अभियांत्रिकी	18
इलैक्ट्रोनिकी अभियांत्रिकी	19
इलैक्ट्रोनिकी एवं ऊर्जा अभियांत्रिकी	20
इलैक्ट्रोनिकी एवं संचार अभियांत्रिकी	21
इलैक्ट्रोनिकी एवं इंस्टूमेंटेशन अभियांत्रिकी	22
कृषि अभियांत्रिकी	23
कम्प्यूटर विज्ञान	24
कम्प्यूटर अनुप्रयोग	25
सूचना प्रौद्योगिकी	26
पुस्तकालय विज्ञान	27
लेखाशास्त्र	28
वर्क एकाऊटेंसी	29
व्यापार प्रबंधन	30
जन संचार	31
पत्रकारिता	32
जन संचार एवं पत्रकारिता	33
फॉर्मेसी	34
फोटोग्राफी	35
मुद्रण प्रोद्यौगिकी	36
नर्सिंग	37
असमी	38
बंगाली	39
मलयालम	40
तेलुगु	41
कन्नड	42
तमिल	43
मराठी	44
गुजराती	45
उर्दू	46
संस्कृत	47
अन्य	48